संख्या—14(4)/7/2011 पार्ट(राजभाषा)
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
भूमि एवं विकास कार्यालय
हिन्दी अनुभाग
***********

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक—26 जुलाई, 2016

## कार्यालय ज्ञापन

विषय: भूमि एवं विकास कार्यालय में 14 सितम्बर, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

भूमि एवं विकास कार्यालय में इस वर्ष 14 सितम्बर, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की जायेंगी । जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:—

| क्रम संख्या | प्रतियोगिता का नाम | दिनांक | समय |
|---|---|---|---|
| 1 | नोटिंग/ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता | 16.09.2016 | प्रातः 11.00 बजे से 12.30 बजे तक |
| 2 | सामान्य राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता | 19.09.2016 | प्रातः 11.00 बजे से 12.30 बजे तक |
| 3 | हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता | 23.09.2016 | प्रातः 11.00 बजे से 12.30 बजे तक |
| 4 | हिन्दी श्रुतिलेख प्रतियोगिता (घ श्रेणी के कर्मचारी हेतु) | 26.09.2016 | प्रातः 11.00 बजे से 12.30 बजे तक |

प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार चार हजार रूप्ये, द्वितीय पुरस्कार तीन हजार रूप्ये एवं तृतीय पुरस्कार दो हजार रूप्ये की राशि होगी, जो उनके खाते में जमा होगी । सभी प्रतियोगिताएँ (क्रम 1 से 4 तक) कार्यालय के सम्मलेन कक्ष में आयोजित की जाएगी । कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उक्त प्रतियोगिताओं में भाग लें । प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी अपने नाम, अनुभाग आदि की जानकारी श्री क्षेत्रपाल शर्मा, परामर्शदाता—हिन्दी को भिजवा दें ।

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रतियोगिता में भाग लें एवं इस दौरान अधिक से अधिक सरकारी कार्य हिन्दी में करें ।

(रजनीश कुमार झा)
उप भूमि एवं विकास अधिकारी
प्रशासन अनुभाग

प्रतियोगिताओं के संबंध में अनुदेश

1. इस प्रतियोगिता में भूमि तथा विकास कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी भाग ले सकते है।
2. एक ही स्तर के पुरस्कार के लिए एक से अधिक विजेता होने की स्थिति में पुरस्कार राशि को विजेता के बीच शेयर किया जा सकता है।
3. किसी भी प्रतियोगिता के आयोजन के लिए इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगियों की संख्या कम से कम पाँच होनी चाहिए ।
4. हिन्दी इतर भाषी कर्मचारियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन में 20 प्रतिशत अतिरिक्त अंको का वेटेज दिया जायेगा ।
5. पुरस्कारों के निर्णय हेतु निर्णायक मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य कारी होगा ।

प्रतिलिपि:

1. कार्यालय के सभी अधिकारी/उप भूमि एवं विकास अधिकारी/अनुभाग अधिकारी ।
2. भूमि एवं विकास अधिकारी के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
3. शहरी विकास मंत्रालय – हिन्दी अनुभाग
4. नोटिस बोर्ड
5. एन आई सी (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
6. लेखाधिकारी
7. सभी अनुभाग, भूमि एवं विकास कार्यालय

उप भूमि एवं विकास अधिकारी
प्रशासन अनुभाग